

घोषणा-पत्र (अ)
(नियोजक/सम्पत्ति मालिक द्वारा)

1. मैं (नाम)..... पुत्र/पत्नी/पुत्रीश्री

..... उम्र..... वर्ष, निवासी

(ग्राम पंचायत/ वार्ड/पंचायत समिति/नगर पालिका) जिला..... का रहने वाला हूँ । मेरे आधार नम्बर/भामाशाह नम्बर....., एवं मोबाईल नम्बर..... है।

2. यह कि, मुझ घोषणाकर्ता ने वार्ड नम्बर..... ग्राम....., ग्राम पंचायत..... पंचायत समिति/नगर पालिका वार्ड नं....., तहसील..... जिला....., में स्वयं के मकान/अन्य निर्माण कार्य करवाया है। घोषणाकर्ता के पास उक्त सम्पत्ति का मालिकाना हक है।

3. मेरे द्वारा स्थानीय प्रशासन (पंचायत/शहरी निकाय) से अनुमति लिये जाने के उपरान्त उक्त निर्माण करवाया गया है। मेरे द्वारा कुलवर्ग फुट निर्माण कार्य दिनांकसे दिनांकके मध्य कराया गया जिसके निर्माण/नवीनीकरण में कुल अनुमानित रूपयेकी लागत आई है। इस पर मेरे द्वारा निर्माण सेस का भुगतान किया गया/देय नहीं है।

4. यह कि मुझ घोषणाकर्ता के मकान पर श्री/श्रीमतीपत्नी/पुत्र..... निवासी.....ने दिनांकसे दिनांक.....तक कुल.....दिन बेलदार/मिस्त्री/.....का कार्य किया है।

5. यह है कि उपरोक्त श्रमिक को बेलदारी/मिस्त्री का कार्य मेरे अधीन करने पर रूपये.....प्रतिदिन के हिसाब से कार्य किया है एवं उक्त श्रमिक का मेरे द्वारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त श्रमिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

6. यह कि मेरे द्वारा दिया गया उल्लेखित समस्त विवरण/निर्माण श्रमिक प्रमाणीकरण पूर्णतः सही है। प्रमाण-पत्र का विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच/मौका निरीक्षण के दौरान फर्जी/असत्य पाये जाने की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 420 एवं अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत मेरे विरुद्ध की गई कार्यवाही की मैं पूर्ण रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ एवं कथित प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किये गये श्रमिक द्वारा प्राप्त की गई हितलाभ की राशि की वसूली श्रमिक से कराने हेतु मैं बाध्य रहूँगा।

हस्ताक्षर.....

(नियोजक/सम्पत्ति मालिक)

दिनांक.....

अंगूठे का निशान

(नियोजक/सम्पत्ति मालिक)

स्थान.....

घोषणा-पत्र-(ब)
(ठेकेदार द्वारा)

1. मैं (नाम)पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....उम्र.....(वर्ष), निवासी
वार्ड.....ग्राम/काँलोनी.....पंचायत समिति/नगर
पालिका.....जिला..... का रहने वाला हू। मेरे आधार नम्बर/भामाशाह
नम्बर....., एवं मोबाईल नम्बर.....है।

2. मैं/मेरा संस्थान श्रम विभाग.....में बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसका पंजीयन क्रमांक
.....है। मेरा/संस्थान का जी.एस.टी. नं....., टिन नं....., पैन नंहै। मैं
.....श्रेणी के ठेकेदार के रूप में पंजीकृत हू।

3. यह कि(मुख्य नियोजक का नाम व पता), जिसकी प्रोजेक्ट लागत लगभग
रूपये.....है तथा कुल निर्माण क्षेत्रवर्ग फुट है, का निर्माण कार्य मेरे द्वारा किया गया है। उक्त निर्माण पर नियमानुसार देय
उपकर राशिरूपये दिनांकको जमा करा दिये है/उपकर राशि देय नहीं है। मेरे द्वारा दिनांक.....से
दिनांक.....के मध्य कराये गये उक्त निर्माण में निम्नलिखित श्रमिक नियोजित किये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

नाम- पिता का नाम- क्या कार्य किया- कब से कब तक कार्य किया

I

II

III

(यदि सूचना विस्तृत है तो एक अलग से प्रपत्र लगावें)

4. यह कि इस निर्माण कार्य पर श्री/श्रीमती
.....पत्नी/पुत्र.....निवासी..... आधार
नं.....,भामाशाह नं.....,मोबाईल नं..... ने दिनांकसे दिनांक.....तक कुलदिन
बेलदार/मिस्त्री/.....के रूप में कार्य किया है। श्रमिक को मेरे अधीन किये गये कार्य का रूपये.....प्रतिदिन की दर से पूर्ण भुगतान
कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त श्रमिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

5. यह कि मेरे द्वारा दिया गया उल्लेखित समस्त विवरण/निर्माण श्रमिक प्रमाणीकरण पूर्णतः सही है। प्रमाण-पत्र का विभागीय अधिकारियों
द्वारा जांच/मौका निरीक्षण के दौरान फर्जी/असत्य पाये जाने की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 420 एवं अन्य प्रावधानों के
अन्तर्गत मेरे विरुद्ध की गई कार्यवाही की मैं पूर्ण रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ एवं कथित प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किये
गये श्रमिक द्वारा प्राप्त की गई हितलाभ की राशि की वसूली श्रमिक से कराने हेतु मैं बाध्य रहूँगा।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

(ठेकेदार का नाम मय सील)

घोषणा-पत्र-(स)

(संस्थान/फर्म जो कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है एवं निर्माण संबंधी कार्यों में कार्यरत है।)

1. मैं (नाम)पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....उम्र.....(वर्ष), निवासी
वार्ड.....ग्राम/कॉलोनी.....पंचायतसमिति/नगर
पालिका.....जिला.....का रहने वाला हूँ। मैं
मैसर्स.....(संस्थान का नाम व पता) का प्रबंधक /मालिक/निदेशक हूँ। मेरे आधार नम्बर
.....,भामाशाह नम्बर....., एवं मोबाईल नम्बर.....है।

2. यह कि संस्थान श्रम विभाग.....में बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसका पंजीयन क्रमांक
.....है/पंजीयन की आवश्यकता नियमानुसार नहीं है। संस्थान का जी.एस.टी. नं....., टिन
नं....., पैन नंहै।

3. यह कि संस्थान में भवन एवं अन्य संनिर्माण संबंधी कार्य हेतु निम्नलिखित श्रमिक नियोजित है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

नाम- पिता का नाम- उम्र- कार्य विवरण- कब से कार्यरत है-

I

II

III

(यदि सूचना विस्तृत है तो एक अलग से प्रपत्र लगावें)

4. यह कि श्री/श्रीमतीपत्नी/पुत्र.....निवासी..... आधार
नं.....,भामाशाह नं.....,मोबाईल नं..... ने दिनांकसे दिनांक.....तक कुलदिन
बेलदार/मिस्त्री/.....के रूप में संस्थान में कार्य किया है। श्रमिक को मेरे अधीन किये गये कार्य का रूपये.....प्रतिदिन की दर से
पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त श्रमिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

5. यह कि मेरे द्वारा दिया गया उल्लेखित समस्त विवरण/निर्माण श्रमिक प्रमाणीकरण पूर्णतः सही है। प्रमाण-पत्र का विभागीय अधिकारियों
द्वारा जांच/मौका निरीक्षण के दौरान फर्जी/असत्य पाये जाने की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 420 एवं अन्य प्रावधानों के
अन्तर्गत मेरे विरुद्ध की गई कार्यवाही की मैं पूर्ण रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ एवं कथित प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किये
गये श्रमिक द्वारा प्राप्त की गई हितलाभ की राशि की वसूली श्रमिक से कराने हेतु मैं बाध्य रहूँगा।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

(प्रबंधक का नाम मय सील)

घोषणा-पत्र-(द)
(निर्माण श्रमिक यूनियन द्वारा)

1. मैं (नाम)पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री..... उम्र.....वर्ष.....,
निवासी.....(ग्राम पंचायत/ वार्ड/पंचायत समिति/नगर
पालिका) जिला..... का रहने वाला हूँ। मेरे आधार नम्बर.....,भामाशाह नम्बर....., एवं
मोबाईल नम्बर.....है। मैं(यूनियन का नाम एवं पता) का
अध्यक्ष/महामंत्री हूँ।
2. यह कि उक्त यूनियन श्रम विभाग में ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या.....है एवं
यह पंजीयन.....तक वैद्य है।
3. यह कि, उक्त यूनियन में विभिन्न श्रेणियों के कुलनिर्माण श्रमिक पंजीकृत है। यूनियन द्वारा पंजीकृत सदस्यों द्वारा
किये जा रहे निर्माण कार्यों का पूर्ण रिकॉर्ड संधारित किया जाता है।
4. यह कि.....(निर्माण स्थल का पता व विवरण) पर चल रहे निर्माण कार्य पर श्री/श्रीमती
.....पत्नी/पुत्र.....निवासी..... दिनांकको यूनियन द्वारा
सदस्यता प्रदान की गई जिसका यूनियन में सदस्यता क्रमांकहै। पंजीकृत सदस्य निर्माण श्रमिक है जिसका आधार
नं.....,भामाशाह नं.....,मोबाईल नं..... है। उक्त श्रमिक/पंजीकृत सदस्य द्वारा उक्त निर्माण कार्य पर दिनांक
.....से दिनांक.....तक कुलदिन बेलदार/मिस्त्री/.....के रूप में कार्य किया है। उक्त
निर्माण.....(नियोजक का नाम, पता, मोबाईल नं.)
द्वारा करवाया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य में नियोजक द्वारा कुल श्रमिकों को नियोजित किये गये हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा दिया गया उल्लेखित समस्त विवरण/निर्माण श्रमिक प्रमाणीकरण पूर्णतः सही है। प्रमाण-पत्र का विभागीय अधिकारियों
द्वारा जांच/मौका निरीक्षण के दौरान फर्जी/असत्य पाये जाने की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 420 एवं अन्य प्रावधानों के
अन्तर्गत मेरे विरुद्ध की गई कार्यवाही की मैं पूर्ण रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ एवं कथित प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किये
गये श्रमिक द्वारा प्राप्त की गई हितलाभ की राशि की वसूली श्रमिक से कराने हेतु मैं बाध्य रहूँगा।

दिनांक

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

(अध्यक्ष/महामंत्री का नाम मय सील)